उत्तरांचल शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या- 864 /XXIII /2005/111/ 2005
देहरादून : दिनांक : 6-6- 2006

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके श्री राज्यपाल, उत्तरांचल आबकारी समूह 'क' सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तरांचल आबकारी समूह 'क' सेवा नियमावली, 2006

भाग- एक- सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल आबकारी समूह 'क' सेवा नियमावली, 2006 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2- उत्तरांचल आबकारी समूह 'क' सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह "क" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषायें

3- जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्यपाल अभिप्रेत है।

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(ग) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है,

(घ) "सरकार" से उत्तरांचल की राज्य सरकार अभिप्रेत है।

(ङ) "राज्यपाल" से उत्तरांचल के राज्यपाल अभिप्रेत है।

(च) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति

अभिप्रेत है,

(छ) "सेवा" से उत्तरांचल आबकारी समूह 'क' सेवा अभिप्रेत है।

(ज) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्य पालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार की गयी हो,

(झ) "भर्ती का वर्ष" से कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग– दो – संवर्ग

सेवा का संवर्ग –

4– (1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय– समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जांय, सेवा की सदस्य संख्या निम्नवत होगी :–

क्रम सं0	पद का नाम	पदों की संख्या	
		स्थायी	अस्थायी
01.	उप आबकारी आयुक्त	02	02
02.	संयुक्त आबकारी आयुक्त	01	01
3.	अपर आबकारी आयुक्त	–	01

परन्तु –

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग–3 – भर्ती

भर्ती का स्त्रोत

5– (1) अपर आबकारी आयुक्त के पद पर भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे, संयुक्त आबकारी आयुक्तों, जिन्होने भर्ती के

वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

परन्तु यदि कोई उपयुक्त पात्र अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त संयुक्त आबकारी आयुक्तों में से, पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है।

(2) संयुक्त आबकारी आयुक्त के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप आबकारी आयुक्तों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

परन्तु यदि कोई उपयुक्त या पात्र अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त उप आबकारी आयुक्तों में से, पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है।

(3) उप आबकारी आयुक्त के पद पर भर्ती मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक आबकारी आयुक्तों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अपने पद पर इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

परन्तु यदि कोई उपयुक्त या पात्र अभ्यर्थी पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त सहायक आबकारी आयुक्तों में से, पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है।

आरक्षण

6– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग –4–भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों की अवधारणा

7– नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियो की संख्या और नियम–6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

भर्ती की प्रकिया

8– (1) अपर आबकारी आयुक्त के पद पर भर्ती उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली 2002 में उल्लिखित सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

(2) उप आबकारी आयुक्त व संयुक्त आबकारी आयुक्त के पद पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसका गठन निम्नप्रकार से किया जायेगा :–

(एक)– सचिव, आबकारी, उत्तरांचल शासन – अध्यक्ष
(दो) प्रमुख सचिव/ सचिव, कार्मिक, उत्तरांचल शासन द्वारा नामित एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव स्तर से अनिम्न न हो – सदस्य
(तीन) आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल – सदस्य

(3) नियुक्त प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की अलग–अलग पात्रता सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा और उन्हे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो आवश्यक समझें जाय चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(4) चयन समिति उप नियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों को साक्षात्कार भी कर सकती है।

(5) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग– पांच
नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

9– (1) मौलिक रिक्तियां होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, नियम–8 के अधीन तैयार की गई सूची में हों।

परिवीक्षा

10– (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय।

परन्तु अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जाएगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या वह सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

11– (1) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा, यदि –

(क) उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक बताया जाए,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी को यह समाधान हो जाए कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहां उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जाएगा।

ज्येष्ठता

12– किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के प्राविधानों के अनुरूप अवधारित की जायेगी।

भाग–छः– वेतन इत्यादि

वेतन

13 – (1) सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिया गया है :–

01.	उप आबकारी आयुक्त	रू0 10000–325–15200
02.	संयुक्त आबकारी आयुक्त	रू0 12000–375–16500
3.	अपर आबकारी आयुक्त	रू 14300–400–18300

भाग– सात – अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

14– सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

15– ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो राज्य के कार्य–कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू होते।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

16– जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट

मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्ति या उसे शिथिल कर सकती है,

व्यावृत्ति

17– इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित हो।

(नवीन चन्द्र शर्मा)
सचिव।

संख्या– /XXIII /04/III /2005 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद–हरिद्वार को नियमावली की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया नियमावली का प्रकाशन असाधारण गजट के दिनांक: 2006 के विशेषांक परिशिष्ट भाग–4 खण्ड–क में मुद्रित कराते हुए इसकी 100 प्रतियाँ सचिव, आबकारी विभाग, उत्तरांचल शासन, राजपुर रोड देहरादून तथा 250 प्रतियाँ आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(जी० बी० ओली)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 864 /XXIII /04/11 / 2005 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तरांचल शासन।
(2) आबकारी आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
(3) निदेशक, एन0 आई0सी0, देहरादून।
(4) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जी0 बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 864... Dated; 6-6-06 , 2006 for general information.

Government of Uttaranchal
Excise Department
No. 864 / XXIII/ 2005/ 111/2005
Dehradun: Dated: 6-6- , 2006

Notification

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in super session of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttaranchal Excise Group 'A' Service:

THE UTTARANCHAL EXCISE GROUP 'A' SERVICE RULES, 2006

Part I- General

Short title and commencement

1- (i) These rules may be called " The Uttaranchal Excise Group 'A' Service Rules, 2006.

(ii) It shall come into force at once.

being by executive instructions issued by the Government;

(q) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing for the 1st day of July of a calendar year.

Part II- Cadre

Cadre of Service

4- (1) The strength of the Service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the Service shall until orders varying the same are passed under sub rule (1) be as follows:-

S No.	Name of the post	Number of post	
		Permanent	Temporary
01	Deputy Excise Commissioner	02	02
02	Joint Excise Commissioner	01	01
03	Additional Excise Commissioner	-	01

Provided that:-

(1) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation:

(2) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Part - III- Recruitment

Source of Recruitment

5- (1) Additional Excise Commissioner By promotion from amongst permanent Joint Excise Commissioners who have completed two years service as such on the first day of the year of recruitment

Provided that if a suitable eligible candidate is not available for promotion the post may be field by promotion from amongst substantively appointed Joint Excise Commissioners

(2) Joint Excise Commissioner by promotion from amongst permanent Deputy Excise Commissioners who have completed three years, service as such on the first day of the year of recruitment

Provided that if a suitable or eligible candidate is not available for promotion the post may be field by promotion from amongst substantively appointed Deputy Excise Commissioners .

(3) Deputy Excise Commissioner- By promotion from amongst permanent

Procedure for Recruitment

8- (1) Recruitment by promotion to the post of Additional Commissioner shall be made on the basis of merit in accordance with The Uttaranchal Constitution Of Departmental Promotion Committee (For Posts outside the Purview of the Public Service Commission) Rules, 2002.

(2) Recruitment by promotion to the post of Deputy Commissioner and Joint Commissioner shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through a selection Committee constituted as follows :-

(i) Secretary, to the Governmet in Excise Department - Chairman

(ii) An officer not below the rank of Joint Secretary to be nominated by the Principal Secretary/ Secretary to the Government in Personnel Department - Member

(iii) The Excise Commissioner Uttaranchal - Member

(3) The appointing authority, shall prepare separate eligibility lists of the candidates arranged in order of seniority and place it before the selection committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered necessary.

cases specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond one year.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post.

(4) A probationer who is reverted under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation- 11- (1) A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if-

Part VI- pay etc.

Scale of pay-

13- (1) The scale of pay admissible to person appointed on the post in the service, shall be such as may be determined by the Government from time to time;

(2) The scale of pay at the time of the commencement of the Uttaranchal Excise group 'A' service rules, are as follows.

S.No	Name of the post	Pay scale
01.	Deputy Excise Commissioner	Rs. 10000-325-15200
02.	Joint Excise Commissioner	Rs. 12000-375-16500
03.	Additional Excise Commissioner	Rs. 14300-400-18300

Part VII- Other provisions

Canvassing

14- No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken in to consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly and indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Savings

17- Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,

N. C. Sharma
Sachiv.